न्यायालय संभागीय आयुक्त, जयपुर।

अपील संख्याः जीसीएमएस नम्बर 2021/118

1. इन्द्रसिंह पुत्र भीमसिंह जाति जाट, निवासी निजामपुरा (ओजटू) तहसील चिड़ावा, जिला झुन्झुनू।

——अपीलांट

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये नायब तहसीलदार चिड़ावा, तहसील चिड़ावा, जिला झुन्झुनू।

—— रेस्पोडेन्ट

निर्णय

दिनांक 08.09.2021

अपीलान्ट द्वारा यह अपील अधीनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर झुन्झुनू द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय दिनाँक 24.03.2021 से असंतुष्ट हाकर राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 76 के तहत प्रस्तुत की गई।

अधिवक्ता अपीलान्ट ने अपील के तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया है कि अदालत मातहत नायब तहसीलदार ने अपीलांट को जमीन हाल खसरा संख्या 03 रक़बा 2.74 हैक्टेयर, में से 2.40 हैक्टेयर एवं खसरा संख्या 04 रकबा 0.04 हैक्टेयर सरहद मौजा निजामपुरा (ओजटू) पर अतिक्रमी घोषित कर बेदखल करने व 2175 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित करने का निर्णय दिनाँक 02.06.2020 को पारित किया, उक्त निर्णय के विरुद्ध अपीलांट की ओर से जिला कलक्टर झुन्झुनू के यहां प्रथम अपील प्रस्तुत की गई जो जिला कलेक्टर झुन्झुनू के द्वारा निर्णय दिनाँक 24.03.2021 के द्वारा अस्वीकार कर खारिज की गई। इस कारण अपीलांट की ओर से यह द्वितीय अपील नायब तहसीलदार चिड़ावा, जिला झुन्झुनू के एवं जिला कलक्टर झुन्झुनू के निर्णय दिनाँक क्रमशः 02.06.2020 एवं 24.03.2021 के विरुद्ध पेश की गई हैं।

अधिवक्ता अपीलान्ट ने कथन किया है कि अदालत मातहत नायब तहसीनदार चिड़ावा व जिला कलक्टर झुन्झुनू के द्वारा पारित निर्णय दिनाँक क्रमशः 02.06.2020 एवं 24.03.2021 के खिलाफ कानून, न्याय व पत्रावली के तथ्यों के प्रतिकूल होने से काबिले खारिज है क्योंकि अपीलांट वादग्रस्त आराजी पर अतिक्रमी नहीं हैं तथा अपीलांट के विरुद्ध दफा 91 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 के प्रावधान लागू नहीं होते हैं किन्तु दोनों अदालत मातहत ने विधिक प्रक्रिया को नजर अंदाज कर निर्णय पारित किया है। उन्होने आगे कथन किया है कि जमीन जैर बहस राजकीय भूमि नहीं हैं बल्कि जमीन जैर बहस अपीलांट की खरीदशुदा भूमि हैं लेकिन वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड गलत बना हुआ हैं, दोनों अदालत मातहम ने अपीलांट के जवाब नोटिस को बिना डिसकस किये ही निर्णय पारित किया हैं। उन्होने यह भी कथन किया है किजमीन जैर बहस राजस्व रिकॉर्ड में मन्दिर श्री

संभागीय आयुक्त जयपुर

P.T.O.

जगदीश वाके चिड़ावा के नाम दर्ज होना कथित किया गया है, विधि का यह सुस्थापित सिद्धान्त है कि मूर्ति मन्दिर के नाम से दर्ज भूमि पर दफा 91 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम के प्रावधान लागू नहीं होते है, इस संबंध में माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर ने आर.आर.टी. 2005(1) पृष्ठ संख्या 253 मालसिंह बनाम स्टेट ऑफ राज़स्थान के निर्णय में उपर्युक्त सिद्धान्त प्रतिपादित किया हैं। अदालत मांतहत नायब तहसीलदार को दफा 91 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 के तहत कार्यवाही करने का क्षेत्राधिकार नहीं था किन्तु उक्त बिन्दु को प्रथम अपील में कोर्ट ने भी नजर अंदाज कर अपीलाधीन निर्णय दिनांक 24.03.2021 पारित किया है जो विधि विधान एवं न्यायिक प्रक्रिया के विपरित होने से खारिज योग्य है।

अधिवक्ता अपीलान्ट ने कथन किया है कि अदातल मातहत नायब त़हसीलदार के यहां अपीलांट ने एक सारवान बिन्दु उठाया था कि जमीन जैर बहस अपीलांट के बब्जे काश्त व खातेदारी की है व पंजीकृत विक्रय विलेख के मार्फत रिकॉर्डेड खातेदार से क्रय की हैं ऐसी सूरत में अदालत मातहत नायब तहसीलदार को अपीलांट के विरुद्ध संक्षिप्त कार्यवाही करने का अधिकार नहीं था किन्तु उक्त बिन्दु को अदालत मातहत जिला कलक्टर झुन्झुनू ने भी नजर अंदाज कर निर्णय पारित किया हैं। उन्होने आगे कथन किया है कि अदालत मातहत जिला कलक्टर एवं नायब तहसीलदार ने दफा 91 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 के प्रावधानों को नजर अंदाज कर निर्णय पारित किया है जो खारिज होने योग्य है। अदालत मातहत जिला कलक्टर ने अपने निर्णय में जो आधार दर्ज किये है, ये न्यायसंगत नहीं हैं क्योंकि जमीन जैर बहस के राजस्व रिकॉर्ड को दुरुस्त कर अपीलांट की खातेदारी की घोषणा करवाने हेतु अपीलांट ने नियमित दावा उपखण्ड अधिकारी चिड़ावा, जिला झुन्झुनू की अदालत में प्रस्तुत कर दिया है जो दावा इंन्द्रसिंह बनाम मन्दिर श्री जगदीश वगैरह लम्बित है और उक्त दावा में तहसीलदार चिड़ावा पक्षकार बतौर प्रतिवादी है। ऐसी सूरत में उक्त दावा के निर्णय तक समरी कार्यवाही चलाया जाना उचित भी नहीं हैं। अतः अपील अपीलांट मंजूर फरमाई जाकर अदालत मातहत नायब तहसीलदार चिड़ावा व जिला कलेक्टर झुन्झुनू द्वारा पारित निर्णय क्रमशः 02.06.2020 एवं 24.03.2021 को अपास्त किया जावें।

रेस्पोडेन्ट की ओर से कोई भी उपस्थित नही तथा उनकी ओर से किसी प्रकार की कोई लिखित बहस भी प्रस्तुत नही की गई है।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा अधिवक्ता अपीलान्ट की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली के संलग्न जमाबन्दी के अवलोकन से जाहिर है कि वादग्रस्त आराजी माफी मंदिर जगदीश जी के नाम दर्ज रिकार्ड है किन्तु जमाबन्दी के कॉलम संख्या 5 में मनिया वल्द नूरीया मुसलमान को कृषक एवं उपकृषक हरीराम पुत्र रामेश्वर ब्राहाम्ण दर्ज रिकार्ड है जबकि मंदिर की खुदकाश्त भूमि को माफी मंदिर की भूमि माना गया है तथा अपीलान्ट द्वारा उक्त वादग्रस्त भूमि को रिकार्डेड खातेदार काश्तकार हरीराम पुत्र रामेश्वर ब्राहाम्ण से जरिये रजिस्टर्ड दिनांक 06.10.1978 को क्रय किया गया है जिसके सम्बन्ध में अपीलान्ट द्वारा वादग्रस्त आराजी पर अपने खातेदारी अधिकारों की घोषणा के लिये सक्षम न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, चिड़ावा जिला झुन्झुनू के समक्ष दावा दायर किया हुआ है जो

वर्तमान में विचाराधीन है जिसमें पक्षकारान के हक हकूक तय होने है, ऐसी स्थिति में वादग्रस्त आराजी पर अपीलान्ट को अतिक्रमी मानना उचित प्रतीत नही होता है किन्तु अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा उक्त तथ्यों पर बिना गौर किये ही अपीलाधीन आदेश पारित किया गये है जो विधि सम्मत जाहिर नही होते है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर झुन्झुनू द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 24.03.2021 एवं नायब तहसीलदार चिड़ावा जिला झुन्झुनु द्वारा पारित आदेश दिनांक 02.06.2020 को निरस्त किया जाता है।

(दिनेश कुमार यादव)
संभागीय आयुक्त,
जयपुर।

निर्णय आज दिनांक 08.09.2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

संभागीय आयुक्त,
जयपुर।